// हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

रायपुर नाका, दुर्ग (छ.ग.) – 491001

Email: academic@durguniversity.ac.in, Website: www.durguniversity.ac.in, Phone - 0788-2359400

क्र./ 236/ अका./शोध/2019 दुर्ग, दिनांक 20/05/2019

//अधिसूचना//

विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक–45 की कंडिका 4 एवं विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में जारी निर्देश पत्र क्रमांक 525/अका./शोध/2018, दुर्ग दिनांक 14/09/2018 के प्रावधानानुसार शोध निर्देशकों/शोध केन्द्रों को निम्न नियमों का पालन अनिवार्य रूप से किये जाने अधिसूचित किया जाता है –

1. विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक–45 की कंडिका 9 अनुसार ऐसे शोध निर्देशक जिन्हे पूर्व में संबंधित विषय में शोध उपाधि/अध्यापन अनुभव एवं विश्वविद्यालय अध्यादेश–45 अनुसार शोध निर्देशक मान्य किया गया है । किन्तु विश्वविद्यालय से संबंद्ध महाविद्यालयों में उनकी नियुक्ति यदि अन्य विषय हेतु की गई है तो वे शोध निर्देशक के रूप में मान्य नही किया जायेगा ।

2. विश्वविद्यालय अध्यादेश–45 अनुसार केवल संबंद्ध विश्वविद्यालय/संस्थान के एक पूर्णकालिक नियमित शिक्षक ही विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शोध निर्देशक के रूप में कार्य करने हेतु मान्य है ।

3. विश्वविद्यालय द्वारा जारी उपर्युक्त पत्र में दर्शित निर्देशानुसार विभागीय शोध समिति (DRC)/शोध निर्देशक आरक्षण नियमों का पालन स्पष्ट रूप से करें, आरक्षण नियमों के पालन की जिम्मेदारी शोध निर्देशक एवं विभागीय शोध समिति (DRC) की होगी ।

4. शोध निर्देशक उपर्युक्त विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देश में दर्शित सीट अनुसार ही पी–एच.डी. शोधार्थियों को अपने अंदर शोध कार्य हेतु अनुमति देवें। पात्रता से अधिक व नियम विरूद्ध स्थिति में संबंधित शोध निर्देशक के मान्यता के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जावेगीं ।

5. ऐसे शोध निर्देशक जो शोध केन्द्र में पदस्थ नहीं है, उनके अधीन शोध छात्र का पंजीयन शोध निर्देशक के नजदीकी शोध केन्द्र में किया जावेगा तथा शोधार्थी को शोध केन्द्र में एक सह–निर्देशक लेना अनिवार्य होगा। जिसका पालन संबंधित शोध केन्द्र एवं शोध निर्देशक द्वारा किया जाना सुनिश्ति करेंगे ।

6. ऐसे पी–एच.डी. शोधार्थी जो शोध केन्द्र में प्रवेश लेने के पश्चात् यदि किसी कारण से अध्ययन बीच में छोड़ देते है /स्वयं प्रवेश निरस्त कराते है तो इसकी सूचना संबंधित शोध केन्द्र/शोध निर्देशक पत्र द्वारा विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से देना सुनिश्चित करें ।

पी–एच.डी. से संबंधित अध्यादेश–45 और समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेशों/नियमों/निर्देशों/सूचनाओं का पालन न करने की स्थिति में संबंधित शोध केन्द्र/शोध निर्देशक पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी जिसके लिये वे स्वयं जिम्मेदार होंगे ।

कुलसचिव
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

पृ. क. 237 /अका./शोध/2019 दुर्ग, दिनांक 20 / 05 /2019

प्रतिलिपि :–

01. प्राचार्य, समस्त शोध केन्द्र, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
02. समस्त शोध निर्देशक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ ।
03. कुलपति के निज सहायक/कुलसचिव के निज सहायक हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
04. वि.वि. वेबसाईट प्रभारी, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) की वेबसाईट पर प्रदर्शित किये जाने सूचनार्थ ।

सहायक कुलसचिव (अका.)
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)